

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में जिला योजना के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- थार्ती
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.692 है० आरक्षित वन भूमि 0.6651 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.357 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थार्ती द्वारा दिनांक-21.11.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थार्ती के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ह०/-

ग्राम प्रधान

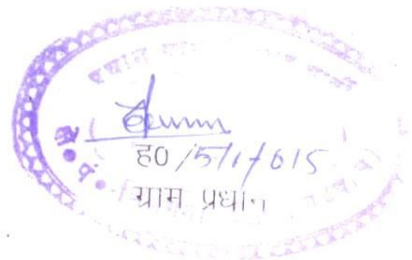
नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 27/11/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शाही

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नरैन्द्र सिंह	
2	सत्यो सिंह	
3	जयेंद्र सिंह	
4	दीवान सिंह	
5	नरैन्द्र सिंह	
6	उमराव सिंह	
7	प्रेम सिंह	
8	गवर सिंह	
9	राजवारे सिंह	
10	जयप्रकाश	
11	भादु लाल	
12	राजेंद्र सिंह	
13	कमल सिंह	
14	शूरवीर सिंह	
15	रणवीर सिंह	
16	कुन्दन लाल	
17	प्रीतम सिंह	
18	सोहन लाल	
19	भरपूरन	



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में ~~राज्य~~ योजना 2009-10 के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, धनसाली।

उपखण्ड धनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण का नव निर्माण हेतु 3.69 हे० आरक्षित वन भूमि 0.66 हे० सिविल एवं सायेम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-धनसाली) की दिनांक-27/4/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री :..... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. श्री <u>जगदीश चतुर्वेदी</u> उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री <u>हेम. शंकर अदीला</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य। |
| 3. श्री <u>सुरेश कुमार शेरला</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव। |
| 4. श्री <u>विजय कुमार शर्मा</u> बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत प्रमुख धनसाली | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में ~~राज्य~~ योजना के अन्तर्गत ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु परियोजना हेतु 4.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र ^{राज्य योजना} के अन्तर्गत टेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.3.57 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

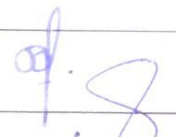
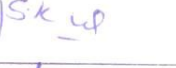
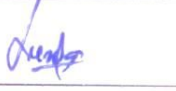
पत्रांक :- / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक-27/11/2014 को ठेला-थार्ती-चिरबिटिया मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगदिश लाल	उपजिलाधिकारी	
2	श्री हेमशंकर भेंदोला	उप प्रभागीय वनाधिकारी, घनसाली	
3	श्री सुदेश कुमार शेट्टी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री विजय गुनदीला	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत प्रमुख भिलंगना	

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Yugal Kishor Pant** I.A.S district Collector, Tehri Garhwal on dated ...12-3-2015... New Tehri in which application claiming rights in **Bhilangana** area measuring **4.357 Hectare** for the construction of **Thela-Tharti-Chirbitiya Motor Road** in Tahsil **Ghansali** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....Tehri.....

Dated:.....12-3-2015.....


(युगल किशोर पन्त)
District Collector cum Chairman
District Level Committee
टिहरी गढ़वाल

Form-1
For linear projects
Government of India
Office of the district collector Tehri Garhwal

No.

Dated...12-3-2015

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

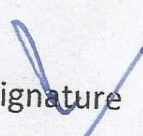
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 4.357 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Ty. Division P.W.D. Ghansali for Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Thela, Tharti, Chirbitiya village (s) In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.200 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram Sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.


S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal


Signature
(V. K. Pant)
District Collector,
Tehri Garhwal

It is further certified that-Minutes of Meeting of Thela-Tharti-Chirbitiya Road scheme regarding FRA is as following .

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 4.357 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

Rajendra

जिला-पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल।

Rajendra

समाज कल्याण अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Rajendra
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

अधिसासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली

(युगल किशोर पन्त)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल